न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 36/2011 दायर दिनांकः– 06/04/2004

संशोधित निर्णय दिनांकः– 15/07/2015

1:– श्री शंकर पिता हरजी ताबियाड उम्र वयस्क निवासी लिम्बडीया ।
2:– श्री राजेश पिता स्व. बापुलाल ताबियाड उम्र वयस्क निवासी लिम्बडीया ।
3:– श्री सुरेश पिता स्व. बापुलाल ताबियाड उम्र वयस्क निवासी लिम्बडीया।
4:– श्री बदामीलाल पिता स्व. लक्ष्मीलाल ताबियाड उम्र वयस्क निवासी लिम्बडीया।
5:– श्री विनोद पिता स्व. लक्ष्मीलाल ताबियाड उम्र वयस्क निवासी लिम्बडीया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1:– श्री कावा पिता श्री हरजी उम्र 70 वर्ष जाति ताबियाड मीणा निवासी भचडीया जगतान तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर ।
2:– श्री रावजी पिता श्री हरजी उम्र 80 वर्ष जाति ताबियाड मीणा निवासी लिम्बडीया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।
3:– श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब ,सागवाडा।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट।

वादी के वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी सं 1 एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 सगे भाई है एवं वादी सं 4 व 5 वादी सं 1 एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के सगें भाई लक्ष्मीलाल के पुत्र है तथा वादी सं 2 व 3 लक्ष्मीलाल के पौत्र है। वादीगण प्रतिवादी नं 1 के सयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेशुदा पैतृक कृर्षि भूमि मौजा लिम्बडीया में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी नं 1 व 2 के मुल पुरूष दला पिता वेस्ता थें। उक्त कलम सं 2 में वर्णित कृर्षि भूमि राजस्व रेकार्ड खतौनी आसामीवार मौजा लिम्बडीया संवत् 2002–2011 में दला पिता वेस्ता के एक पुत्र था जिसका नाम हरजी था। वादी सं 1 प्रतिवादी नं व 2 एवं वादी सं 4 व 5 के पिता लक्ष्मीलाल उक्त हरजी के पुत्र है। राजस्व अधिकारीयों की त्रुटि से कलम सं 2 में वर्णित कृर्षि भूमि दौराने सेटलमेन्ट दला पिता वेस्ता से सिधें प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। कलम सं 2 में वर्णित कृर्षि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति होकर उक्त कृर्षि भूमि में वादी सं 1 का 1/4 हिस्सा , वादी सं 2 व 3 का 1/12 वादी सं 4 का 1/12 हिस्सा , वादी सं 5 का 1/12 एवं प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं 2,1/4 हिस्सा है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर उक्त कृर्षि भूमि को वादीगण एवं प्रंतिवादी सं 1 व 2 के नाम अपने हिस्सानुसार दर्ज रेकार्ड किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण द्वारा उक्त खाते की नकल से जानकारी हुई इसके पश्चात प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

सं 1 व 2 से दिनांक 02.01.2011 को इन्द्राज दुरस्ती करवाने का कहने पर साफ मना करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की कलम सं 2 में वर्णित आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर वादी सं 1 का 1/4 हिस्सा , वादी सं 2 व 3 का 1/12, वादी सं 4 का 1/12 हिस्सा , वादी सं 5 का 1/12 एवं प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं 2 का 1/4 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी सं 1 कावा पिता हरजी ताबियाड द्वारा वाद विरूद्व निम्नानुसार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि वादी सं 1 एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 सगे भाई है। कृर्षि भूमि मौजा लिम्बडीया में स्थित है। विवरण में दर्शायें खसंरा नम्बरों वाले आराजीयात पर केवल प्रतिवादी सं 1 व 2 का कब्जा होकर रेवेन्यू रेकार्ड में उनके खाते दर्ज है। वादी सं 1 व प्रतिवादी सं 1 व 2 के पिता हरजी थें जिनके ये सन्तानें है। इन्द्राज दुरस्ती की आवश्यकता नहीं हैं प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त कृर्षि जमीन कई वर्ष पूर्व की हुई है जिसमें परिवर्तन या फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। कृर्षि जमीन प्रतिवादी सं 1 व 2 के शामलाती है कर उनके खाते दर्ज रेकार्ड है एवं उन्हीं का विगत कई वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। इसमें किसी अन्य का कोई कब्जा नहीं है एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति का खाता है। वर्णित कृर्षि जमीन के विधिवत् बटंवारें एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए विगत काफी समय पूर्व से ही प्रतिवादीगण सं 1 ने प्रतिवादी 2 के विरूद्व प्रस्तुत कर रखा है जो आप न्यायालय में चल रहा है जबकि वादीगण का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी सं 1 को बिना किसी कारण से जानबुझकर व तंग व परेशान करने के लिए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त जमीन का रेवेन्यू रेकार्ड में इन्द्राज दुरसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है जबकि उक्त जमीन प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के हिस्से की जमीन है वर्तमान जमाबन्दी व गिरदावरी में भी प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम दर्ज है। वरसेंग एवं चम्पा दोनो वयस्क होकर निवासीयान भचडिया जगतान के है जो दोनों भी हरजी की सन्तानें है। उन्हे वाद पत्र के पक्षकार नहीं बनाये जाने से दावा चलने योग्य नहीं है। अतः वाद पत्र को सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा अपने साक्ष्य में मौजा लिम्बडिया सवंत् 2063–66 खाता सं 124 नया 87 पुराना की नकल प्रस्तुत की जिसमें वादग्रस्त आराजीयात रावजी ,कावा पिता हरजी के खाते में दर्ज है। (EX1), फर्द मिलान रकबा ग्राम लिम्बडिया संवत् 2015 (EX2), खतौनी आसामी वार मौजा लिम्बडिया सवंत् 20025–2011 खाता सं 10 (EX3), आदि प्रस्तुत किए। चूकिं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट है अतः तनकीवार निर्णय आवश्यक नहीं है। पत्रावली में वकील प्रतिवादी अथवा प्रतिवादीगण पैरवी हेतु उपस्थित नही होने से दिनांक 02/03/2015 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में एक तरफा बहस समाप्त की गई । निर्णय निम्नानुसार है।–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार प्रश्नगत आराजी दला पुत्र वेस्ता के नाम दर्ज थी। दला के पश्चात समस्त आराजी उसके पुत्र हरजी के नाम दर्ज हुई। हरजी की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी हरजी के पुत्र रावजी जो प्रतिवादीगण है। वादीगण के अनुसार उक्त आराजीयात पैतृक है जो साक्ष्य से भी स्पष्ट है। प्रतिवादी सं 01 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि , वादी सं 1 प्रतिवादी सं 2 व 3 का सगा भाई है। प्रतिवादी सं 1 द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया है कि वरसेंग व चम्पा दोनों भचडिया जगतान के निवासी है तथा हरजी की संतानें है परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाए जाने से दावा निरस्त योग्य है प्रतिवादी सं 1 द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि प्रार्थीगण का दावा प्रस्तुत साक्ष्यों से सिद्व होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी के राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज दुरस्ती कर प्रार्थी सं 1 का 1/4

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

हिस्सें प्रार्थी सं 2 व 3 का 1/12 हिस्सें , प्रार्थी सं 4 का 1/12 हिस्सें तथा प्रार्थी सं 5 का 1/12 हिस्सें में नाम जोडनें का आदेश दिया जाता है। 1/4–1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं 1 व 2 का बदस्तुर रहेगा। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner